

क्रमांक: डीसी/ए-2/2019/187
 समस्त सहायक औषधि नियंत्रक एवं
 समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
 राजस्थान

विषय:- औषधियों के निर्माण मय ब्लड बैंक टेस्टिंग लेब के अनुमोदन एवं निर्माण संबंधित विभिन्न सर्विसेज तथा प्रमाण पत्रों हेतु ऑन लाईन लाईसेंस/प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करने व ऑफलाइन अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के संबंध में।
 हेतु ऑन लाईन लाईसेंस/प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करने व ऑफलाइन अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के संबंध में।
 संदर्भ:- संगठन का पत्र क्रमांक: डीसी/ए-2/2018/307 दिनांक 07.06.2018 एवं 621 दिनांक 27.12.2018, पत्रांक डीसी/ए-2/2019/31 दिनांक 15.01.2019, पत्रांक डीसी/ए-2/2019/79 दिनांक 31.01.2019 एवं पत्रांक 153 दिनांक 20.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि औषधियों के निर्माण, टेस्टिंग लेब के अनुमोदन एवं निर्माण संबंधित विभिन्न सर्विसेज तथा प्रमाण पत्रों हेतु ऑन लाईन लाईसेंस/प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करने की सुविधा निम्न विवरणानुसार वेबसाइट dco.rajasthan.gov.in जारिये एसएसओ पोर्टल शुरू की जा चुकी थी, जिसकी सूचना संदर्भित पत्र द्वारा सभी संबंधितों को प्रेषित की गई थी।
 औषधि निर्माण ईकाईयों के वर्तमान में जो लाईसेंस अस्तित्व (Existance) में है उनके विवरण/दस्तावेजों को ऑनलाईन करने के लिये Migration of license के नाम से सुविधा प्रदान की गई थी एवं निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में स्थित निर्माता फर्मों के लाईसेंस संबंधित विवरण/दस्तावेजों को 28.02.2019 तक ऑनलाईन कराने की कार्यवाही की सुनिश्चितता करें।
 औषधि निर्माण अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने की समय सीमा को दिनांक 28.02.2019 से बढ़ाकर दिनांक 15.03.2019 किया जाता है एवं यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 15.03.2019 तक समस्त ऑफलाइन औषधि निर्माण अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन कर दिया जावे। यह भी विदित हो कि संगठन स्तर पर समीक्षा कर कार्य पूर्ण ना करने वाले/कार्य पूर्ण ना करने में शिथिलता बरतने वाले जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के द्वारा आगामी तारीख में ली जाने वाली समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के लिये बुलाया जावेगा।
 फर्म ओरिगा आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, डीओआईटी, यूडीबी बिल्डींग, गोपालपुरा बाईपास जयपुर के द्वारा निर्माताओं के लिए ऑनलाईन लाईसेंस तथा निर्माताओं के ऑफलाइन डाटा को ऑनलाईन करने की वेबसाइट डेवलप की है। अतः निर्माताओं को किसी प्रकार की प्रक्रिया के दौरान परेशानी आती है तो वे सीधे ही उक्त कम्पनी के जिम्मेदार निम्नांकित व्यक्तियों से जारिये मोबाईल/ई-मेल से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं।
 हेल्प डेस्क मो० ने 6378943707 ईमेल आईडी:- HELPDESK.DCO@RAJASTHAN.GOV.IN

(अजय फाटक)
 औषधि नियंत्रक
 राजस्थान जयपुर

दिनांक:

क्रमांक: डीसी/ए-2/2019/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आर०एम०एस०सी०एल० जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (युप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक (भारत), सी०एच०ई०बी कॉम्प्लेक्स, कोटला रोड, नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके स्तर से सभी संबंधितों को उचित दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करें जिससे कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार ना हो व ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही सम्पादित हो।
7. उप औषधि नियंत्रक, सी०डी०एस०सी०आ०, नॉर्थ जोन, कमला नेहरू नगर, सी०जी०ओ० बिल्डींग, गाजियाबाद को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके स्तर से सभी संबंधितों को उचित दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करें जिससे कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार ना हो व ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही सम्पादित हो।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
9. निदेशक (जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/आई०ई०सी०/ई०एस०आई०, एम०एस०यू०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ब्लड बैंक से संबंधित सभी कार्य (नये आवेदन, नवीनीकरण, वर्तमान में अस्तित्व औषधि अनुज्ञापत्रों के विवरण व दस्तावेजों को ऑनलाईन किये जाने का कार्य) ऑनलाईन किये जाने के सभी संबंधितों को निर्देश प्रदान करावें।
11. अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ब्लड बैंक से संबंधित सभी कार्य (नये आवेदन, नवीनीकरण, वर्तमान में अस्तित्व औषधि अनुज्ञापत्रों के विवरण व दस्तावेजों को ऑनलाईन किये जाने का कार्य) ऑनलाईन किये जाने के सभी संबंधितों को निर्देश प्रदान करावें।
12. औषधि नियंत्रक-प्रथम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/अजमेर
14. श्री आर एल सोलंकी, संयुक्त निदेशक, डीओआईटी।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि ब्लड बैंक से संबंधित सभी कार्य (नये आवेदन, नवीनीकरण, वर्तमान में अस्तित्व (Existance) औषधि अनुज्ञापत्रों के विवरण व दस्तावेजों को ऑनलाईन किये जाने का कार्य) ऑनलाईन किये जाने के सभी संबंधितों को निर्देश प्रदान करावें।
17. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, समस्त राजकीय अस्पताल ब्लड बैंक, प्राईवेट अस्पताल ब्लड बैंक, चेरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अन्य संबंधित समस्त ब्लड बैंक राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि ब्लड बैंक से संबंधित सभी कार्य (नये आवेदन, नवीनीकरण, वर्तमान में अस्तित्व (Existance) औषधि अनुज्ञापत्रों के विवरण व दस्तावेजों को ऑनलाईन किये जाने का कार्य) ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही करें।
18. श्री राजीव गुजराल, सिनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर, डीओआईटी, योजना भवन, जयपुर।
19. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी संबंधितों को ईमेल करावें व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
20. अध्यक्ष, राजस्थान मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट ऐशोसिएशन राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से सभी संबंधित औषधि निर्माताओं को उपरोक्त के संबंध में पालना की जाने हेतु प्रचार प्रसार करावें एवं वर्तमान में अस्तित्व (Existance) औषधि अनुज्ञापत्रों के विवरण व दस्तावेजों को ऑनलाईन किये जाने के लिये सभी संबंधित निर्माता फर्मों को Migration of license के नाम से जो सुविधा प्रदान की गई है उस पर अपलोड की आवश्यक कार्यवाही करावें।
21. समस्त औषधि निर्माता फर्म राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वर्तमान में सम्बन्धित अस्तित्व (Existance) औषधि अनुज्ञापत्रों के विवरण व दस्तावेजों को ऑनलाईन किये जाने के लिये सभी संबंधित निर्माता फर्मों को Migration of license के नाम से जो सुविधा प्रदान की गई है उस पर अपलोड करें।
22. ओरिगा आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, डीओआईटी, यूडीबी बिल्डींग, गोपालपुरा बाईपास जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि औषधि निर्माताओं के द्वारा यथा समय प्रेषित की जाने वाली समस्याओं का तत्काल निराकरण एवं मेन्टेन्स के दौरान ही Scope के अनुसार शेष कार्य यूजर मेन्युल सहित अपलोड करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें।

(अजय फाटक)
 औषधि नियंत्रक
 राजस्थान जयपुर